राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ.15(1)विग्रास/विधि/पंरा/2015/ 738 जयपुर,दिनांकः 01.12.2015

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   जिला परिषद, समस्त।

2. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   जिला परिषद, समस्त।

विषयः—पण्डित दीन दयाल उपाध्ययाय ग्रामीण कौशल योजना के लाभार्थियों के चयन हेतु "विशेष ग्राम सभा" आयोजित करने बाबत।

पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (पूर्व आजीविका कौशल) ग्रामीण विकास मंत्रालय केन्द्र सरकार की निर्धन ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार प्राप्त करने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंश 75.25 के रूप में निर्धारित है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना का अनुमोदन किया गया है। राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। इस योजना को व्यापक बनाने एवं समस्त इच्छुक लाभार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त हो इस उदेश्य से **राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 09.12.2015 को** निर्धारित ऐंजेण्डा के अनुसार **"विशेष ग्राम सभा"** का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

ग्राम सचिव, ग्राम सभा में चयनित लाभार्थियों से, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के संलग्न MIS Form में सभी सूचनाएँ भरवाकर संबंधित विकास अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे। लाभार्थियों से प्राप्त इन MIS Forms का विकास अधिकारियों द्वारा निगम के Online MIS Database में इन्द्राज किया जायेगा। निगम द्वारा सभी विकास अधिकारियों का LoginID जारी किया जा रहा है।

अतः आपके जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में दिनांक 09.12.2015 को संलग्न ऐजेण्डा के अनुसार विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करायें।
संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :—
1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा0 वि0 एवं पं0 राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जयपुर ।
5. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव

विशेष ग्रामसभा हेतु ऐजेन्डा

पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (पूर्व आजीविका कौशल) ग्रामीण विकास मंत्रालय, केन्द्र सरकार की गरीब ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार प्राप्त करने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंश 75:25 के रूप में निर्धारित है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना का अनुमोदन किया गया है। राज्य में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

निगम द्वारा योजना को लागू करने हेतु 39 परियोजना क्रियान्वयन संस्थाओं (PIAs) का चयन किया गया है। इन संस्थाओं द्वारा अभी तक 117 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर सभी जिलों से 25,000 से भी अधिक युवाओं को उनकी योग्यता एवं अभिरूची अनुसार विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया जा चुका है। इन प्रशिक्षित युवाओं को संस्थाओं द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराये जा रहे है।

योजना का शुभारम्भ दिनांक 17 जुलाई और 07 अगस्त 2014 को माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में चयनित संस्थाओं के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षर के साथ किया जा चुका है।

पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (पूर्व आजीविका कौशल) में लाभार्थियों की तीन श्रेणियाँ निर्धारित की गई है:-

15 से 35 वर्ष के वह निर्धन ग्रामीण युवा जो:-

1. चयनित बी.पी.एल. परिवार के सदस्य, जिनका नाम बी.पी.एल सूची 2002 अथवा पूरक बी.पी.एल. सूची 2006, 2008, 2010 और 2012 में सम्मिलित हैं अथवा परिवार सामाजिक आर्थिक गणना 2011(प्रकाशन उपरान्त) की सूची मे सम्मिलित हो अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत चयनित परिवार सदस्य हो, अथवा अन्त्योदय अन्न योजना/बीपीएल सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत चयनित परिवार का सदस्य हो, अथवा आजीविका (एनआरएलएम) के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह के परिवार का सदस्य। अथवा
2. परिवार के किसी भी सदस्य ने गत वर्ष कम से कम 15 दिन मनरेगा मे काम किया हो। अथवा
3. "सहभागीता आधारित गरीब की पहचान" (पी.आई.पी) प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्राम सभा से अनुमोदित हो।

योजना का लाभ समस्त इच्छुक एवं योग्य युवाओं तक पहुँचाने हेतु एवं ऐसे युवा जो योजना का लाभ लेने के इच्छुक है और प्रथम दो बिन्दुओं में वर्णित योग्यताओं में से किसी में भी शामिल नहीं है उनका ग्राम सभा में "सहभागीता आधारित गरीब की पहचान" (पी.आई.पी) प्रक्रिया के अन्तर्गत चयन करने हेतु इस "विशेष ग्रामसभा" का आयोजन किया गया है।

पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में कौशल्य प्रशिक्षण हेतु लाभार्थी चयन

(सहभागीता आधारित गरीब की पहचान (पी.आई.पी) अन्तर्गत)

1. नाम : ....
2. पिता का नाम : ....
3. लिंग ( ) पुरूष ( ) स्त्री
4. जन्म तिथि .... आयु.........
5. वर्ग (अजा / अजजा / अपिव / सामान्य): ....
6. निःशक्तजन : हॉ / नहीं :
7. अल्पसंख्यक : हॉ / नहीं
8. निवासी ग्राम : .... तहसील : .... जिला : ....
9. मोबाइल / दूरभाष नं. : ....
10. ई–मेल : ....
11. बैंक खाता संख्या : ....
12. बैंका का नाम व शाखा : ....
13. आधार नामांकन संख्या : ....
14. शैक्षणिक योग्यताः ....
15. किस क्षेत्र में प्रशिक्षण चाहते हैं : 1. ....
    2. ....
    3. ....
16. प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार हेतु राज्य से बाहर जाने के इच्छुक : हॉ / नहीं
17. प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार हेतु राज्य के दूसरे जिले में जाने के इच्छुक : हॉ / नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ....

कार्यालय उपयोग हेतु

दिनांक :–

क्रमांक :–

प्रार्थी का चयन "विशेष ग्रामसभा" में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत लाभार्थी के रूप में किया गया है। प्रार्थी को कौशल प्रशिक्षण दिलवाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

दिनांक :– ....

सरपंच / ग्राम सेवक पदेन सचिव

(हस्ताक्षर मय मोहर)

Rajasthan Skill & Livelihoods Development Corporation

A Government of Rajasthan Enterprise

Youth (Aspirant) Registration Form

Photo

1	Name of Student *	
2	Father/Husband Name*	
3	Mother Name	
4	Gender* (Male/Female)	
5	Date of Birth (dd/mm/yyyy)	
6	Age*	
7	Religion*	Hindu / Muslim / Christian / Sikh/ Other
8	Category*	ST / SC / OBC / SBC / Gen
9	Rural/Urban*	
10	Physically disabled* (Yes/No)	
11	Educational Qualification*	
12	Preferred Name of Course*	
13	Preferred District for Training *	
14	Economic Status*	APL/BPL/State BPL/Antodaya
15	BoCW Worker (Yes/No)*	
16	MGNREGA Worker (Yes/No)*	
17	**Address Details:-**	
18	House Number (if any)*	
19	Street/Colony Name*	
20	Ward Number	
21	Village/Town/City Name*	
22	Panchayat Samiti/Block Name	
23	District Name*	
24	Tehsil Name*	
25	Municipality / Panchayat Samiti *	
26	Pin Code*	
	Contact Details:-	
27	Mobile Number*	
28	Alternate Mobile Number*	
29	e-Mail (if any)	

Date:

Signature of the Applicant

All fields mark * are mandatory

पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में कौशल प्रशिक्षण हेतु लाभार्थियों के चयन का विवरण

(सहभागीता आधारित गरीब की पहचान (पी.आई.पी) अन्तर्गत ग्राम सभा का रजिस्टर प्रारूप)

ग्राम पंचायत का नाम .... पंचायत समिति .... जिला ....

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	लिंग (पुरूष /स्त्री	जन्म तिथि व आयु	वर्ग (अजा/ अजजा/ अपिव/ सामान्य)	निःशक्तजन (हॉं /नहीं)	अल्पसंख्यक (हॉं /नहीं)	मोबाईल नम्बर	आधार नामांकन संख्या	निवासी ग्राम का नाम	शैक्षणिक योग्यता	रोजगार हेतु जिले से बाहर जाने के इच्छुक (हॉं/नहीं)	रोजगार हेतु राज्य से बाहर जाने के इच्छुक (हॉं/नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

दिनांक :– ....

सरपंच/ग्राम सेवक पदेन सचिव

(हस्ताक्षर मय मोहर)